

(भारत के राजपत्र असाधारण भाग I, खंड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग  
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं. 44/2015-2020

नई दिल्ली, दिनांक: 20 नवम्बर, 2019

विशय: उद्गम प्रमाणपत्र (गैर-तरजीही) जारी करने हेतु परिशिष्ट 2 ड. के तहत सूचीबद्ध करने और एफटीएपीसीसीआई से नाम बदलकर एफटीसीसीआई करने के संबंध में।

विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा मैसर्स इंडियन इम्पोर्टर्स चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (आईआईसीसीआई) को उद्गम प्रमाणपत्र (गैर-तरजीही) जारी करने हेतु प्राधिकृत करते हैं।

मैसर्स इंडियन इम्पोर्टर्स चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (आईआईसीसीआई)  
एफ-5, हौज खास एन्क्लेव  
नई दिल्ली-110016, भारत  
दूरभाष सं. - 011-2693660

2. तदनुसार, उपरोक्त एजेंसी का नाम विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 2ड. [उद्गम प्रमाणपत्र (गैर-तरजीही) जारी करने हेतु प्राधिकृत एजेंसी की सूची] के क्रम सं. 19 (दिल्ली) पर जोड़ा जाता है।

3. इसके अतिरिक्त, विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 2.04 के तहत महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक (परिशिष्ट एवं आयात-निर्यात प्रपत्र), 2015-2020 के परिशिष्ट 2ड. [उद्गम प्रमाण पत्र (गैर-तरजीही) जारी करने हेतु प्राधिकृत एजेंसियों की सूची] में उप-शीर्षक तेलंगाना के अंतर्गत क्रम सं. 2 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

क्रम सं.	मौजूदा प्रविष्टि (आन्ध्र प्रदेश)	क्रम सं.	अद्यतनकृत प्रविष्टि (तेलंगाना)
3	फेडरेशन आफ तेलंगाना एंड आन्ध्र प्रदेश चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री फेडरेशन हाउस, एफएपीसीसीआई मार्ग, 11-6-841, रेड हिल्स, पी.बी. नं. 14, हैदराबाद-500004 दूरभाष: 91-40-23395515 फेक्स: 91-40-23395525 ई-मेल: info@ftcci.in	2	फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री फेडरेशन हाउस, एफएपीसीसीआई मार्ग, 11-6-841, रेड हिल्स, पी.बी. नं. 14, हैदराबाद-500004 दूरभाष: 91-40-23395515 फेक्स: 91-40-23395525 ई-मेल: info@ftcci.in

My

4. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: मैसर्स इंडियन इम्पोर्टर्स चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, दिल्ली को उदगम प्रमाण-पत्र (गैर तरजीही) जारी करने हेतु विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के परिशिष्ट 2ड. के तहत सूचीबद्ध किया जाता है और मैसर्स दि फेडरेशन ऑफ तेलंगाना एंड आन्ध्र प्रदेश चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (एफटीएपीसीसीआई) के नाम को दि फेडरेशन आफ तेलंगाना चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (एफटीसीसीआई) के रूप में पढ़े जाने हेतु संशोधित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप मैसर्स एफटीएपीसीसीआई के नाम को प्रक्रिया पुस्तक, 2015-2020 के परिशिष्ट 2ड. की शीर्षक आन्ध्रप्रदेश के तहत क्रम सं. 3 से हटा दिया गया है तथा प्रक्रिया पुस्तक, 2015-2020 के परिशिष्ट 2ड. की शीर्षक तेलंगाना के तहत क्रम सं. 2 पर एफटीसीसीआई के नाम से जोड़ा गया है।

**अमित यादव**  
(अमित यादव)

महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं  
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार  
ई-मेल: [dgft@nic.in](mailto:dgft@nic.in)

(फाइल सं. 01 / 93 / 180 / 22 / एएम-19 / पीसी-II(ख) / पी-15398 से जारी)